

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
74 बंगले, खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, भोपाल.- 462 003

Phone: 0755-2674244, PBX: 2674349, 2760585, FAX 2552628

Email : mdmfpfed@sancharnet.in, Website : www.mfpfederation.com

कमांक/वनो/संघ/एकलव्य /2012/ 8935 भोपाल, दिनांक 22.08.2012
प्रति,

REGD/FAX

समस्त वनमंडलाधिकारी एवं
पदेन प्रबंध संचालक,
जिला वनोपज सहकारी यूनियन,
मध्यप्रदेश.

विषय :- एकलव्य शिक्षा योजना ।

संदर्भ :- कार्यालयीन परिपत्र कमांक /वनो/सह/2010/12166 दिनांक-22.11.2010.
एवं 10509 दिनांक 16.09.2011

—000—

जैसा कि आपको विदित ही है, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों, फडमुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के मेधावी बच्चों के लिये शिक्षण सत्र 2010-11 से विषयांकित छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी । इस विषय पर इस कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें ।

2. शिक्षण सत्र 2011-12 में जिन विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी, यदि वे विगत वर्ष की वार्षिक परीक्षा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त कर शिक्षण सत्र 2012-13 में अगली कक्षा में प्रवेश ले चुके हैं, तो उन्हें शिक्षण सत्र 2012-13 में भी संदर्भित परिपत्र में दिये गये प्रावधानानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी जिसके लिये उन्हें संलग्न प्ररूप-1 में आवेदन करना होगा। उक्त आवेदन परीक्षणोपरांत अनुशंसा सहित इस कार्यालय को 30 नवम्बर 2012 तक अनिवार्य रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें ।


3. यदि शिक्षण सत्र 2011-12 में छात्रवृत्ति प्राप्त कोई विद्यार्थी किसी विशेष परिस्थितिवश 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने से वंचित रह गया हो, तो उस पर विचार कर एक बार छूट दी जा सकती है । ऐसे प्रकरणों में संबंधित विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक से आवेदन प्राप्त कर अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित संघ मुख्यालय को 10 नवम्बर, 2012 तक अनिवार्य रूप से भेजें । इस प्रकार के आवेदनों पर प्रकरण की मेरिट के आधार पर संघ मुख्यालय स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। तथा इस प्रकार के प्रकरणों पर संघ मुख्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

4. शिक्षण सत्र 2012-13 के लिये नये आवेदन संलग्न प्ररूप-2 में प्राप्त कर परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित इस कार्यालय को 30 नवम्बर, 2012 तक भेजना सुनिश्चित करें । यहां उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र विधिवत एवं समुचित परीक्षण किये बिना इस कार्यालय को प्रेषित किये जाते हैं जिससे आवेदन पत्रों के परीक्षण में अनावश्यक रूप से बार-बार पत्राचार करना पडता है अतः इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कोई भी आवेदन पत्र बिना

समुचित परीक्षण किये इस कार्यालय को अग्रेषित न किये जाये। प्रत्येक आवेदन पत्र पर आपके कार्यालय में प्राप्त होने का आवक क्रमांक एवं दिनांक की प्रविष्टी की जावे।

5. इस कल्याणकारी योजना की जानकारी सभी पात्र विद्यार्थियों तथा अभिभावकों तक पहुंच जाये, इसके लिये योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। इस कार्य में परिक्षेत्र सहायकों, बीट गाडों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों, प्रबंधकों एवं फड़मुंशियों की सेवार्यें ली जा सकती हैं। उचित होगा कि परिक्षेत्र स्तर पर उपरोक्त संबंधित पदाधिकारियों की बैठकें आयोजित कर इस योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाये, ताकि कोई पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(जी.डी. सागर)

अपर प्रबंध संचालक (प्रशा.)

भोपाल, दिनांक-22/8/2012

पू.कं./वनो/संघ/एकलव्य/2012/ 8936
प्रतिलिपि :- समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश को संलग्नकों की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित। उनसे अपेक्षा है कि वे उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली जिला यूनियनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का अनुश्रवण करें तथा समयानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।


अपर प्रबंध संचालक (प्रशा.)
म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल.